

## बिहार सरकार

## श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

## बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति

## आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, कैमूर के ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) से 03 श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रितों को रु० 30,000/- (तीस हजार रुपए) प्रति कामगार की दर से भुगतान हेतु रु० 90,000/- (नब्बे हजार रुपए) तथा बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा (संशोधन) योजना, 2024 के अंतर्गत दुर्घटना में मृत 03 श्रमिकों के आश्रित को रु० 2,00,000/- (दो लाख रुपए) प्रति कामगार की दर से रु० 6,00,000/- (छः लाख रुपए) एवं 06 श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत उनके आश्रितों को रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए) प्रति कामगार की दर से भुगतान हेतु रु० 3,00,000/- (तीन लाख रुपए) अर्थात् कुल राशि रु० 9,90,000/- (नौ लाख नब्बे हजार रुपए) मात्र अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

| क्र.सं. | मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि   | आश्रित का नाम (संबंध)/दावेदार | जिला/कार्यक्षेत्र/श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक | पता/मोबाइल नं०                                                                     | आश्रित का बैंक खाता संख्या | बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी. | स्वीकृत अनुदान की राशि             | मृत्यु/निःशक्तता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति |
|---------|----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1.      | 2.                                                 | 3.                            | 4.                                               | 5.                                                                                 | 6.                         | 7.                                 | 8.                                 | 9.                                           |
| 01.     | स्व० गुड्डू कुमार, 45, राम राज राम, अनु० जाति      | रीता देवी, (पत्नी)            | 131<br>02.02.2026<br>715,<br>13.08.2025          | ग्रा०-भरखर,<br>पो०+था०+प्र०-<br>मोहनियां, जिला-कैमूर,<br>8521273879                | 330087<br>16873            | SBI,<br>SBIN0<br>006137            | रु<br>50,000/-<br>(पचास हजार रुपए) | स्वाभाविक मृत्यु, कृषि मजदूर                 |
| 02.     | स्व० शीला देवी, 63, जगदीश राम, अनु० जाति           | जगदीश राम, (पति)              | 131<br>02.02.2026<br>717,<br>13.08.2025          | ग्रा०-डुमरपोखर,<br>पो०-कस्थारी,<br>था०+प्र०-मोहनियां,<br>जिला-कैमूर,<br>7352225726 | 269600<br>170000<br>1514   | PNB,<br>PUNB0<br>269600            | रु<br>50,000/-<br>(पचास हजार रुपए) | स्वाभाविक मृत्यु, कृषि मजदूर                 |
| 03.     | स्व० लालती देवी, 41, श्री निवास राम, अनु० जाति     | अजय कुमार, (पुत्र)            | 131<br>02.02.2026<br>719,<br>13.08.2025          | ग्रा०-सिधी,<br>पो०-चाकंडिहारा,<br>था०+प्र०-भगवानपुर,<br>जिला-कैमूर,<br>7654970283  | 319602<br>00371            | SBI,<br>SBIN0<br>009221            | रु<br>50,000/-<br>(पचास हजार रुपए) | स्वाभाविक मृत्यु, कृषि मजदूर                 |
| 04.     | स्व० उर्मिला देवी, 51, उमा राम, अनु० जाति          | उमा राम, (पति)                | 131<br>02.02.2026<br>721,<br>13.08.2025          | ग्रा०-बडदा,<br>पो०+था०+प्र०-नुआव,<br>जिला-कैमूर,<br>7339372405                     | 600800<br>010002<br>2379   | PNB,<br>PUNB0<br>600800            | रु<br>30,000/-<br>(तीस हजार रुपए)  | स्वाभाविक मृत्यु, कृषि मजदूर                 |
| 05.     | स्व० सहेन्द्र राम, 42, भगवत राम, अनु० जाति         | सीता देवी, (पत्नी)            | 131<br>02.02.2026<br>726,<br>13.08.2025          | ग्रा०-खरगांव,<br>पो०-अमौव,<br>था०+प्र०-चैनपुर,<br>जिला-कैमूर,<br>6204359961        | 357379<br>22724            | SBI,<br>SBIN0<br>003360            | रु<br>50,000/-<br>(पचास हजार रुपए) | स्वाभाविक मृत्यु, कृषि मजदूर                 |
| 06.     | स्व० विकाश कुमार गोंड, 23, प्रभु गोंड, अनु० जनजाति | प्रभु गोंड, (पिता)            | 131<br>02.02.2026<br>739,<br>13.08.2025          | ग्रा०+पो०-बारे,<br>था०+प्र०-भभुआ,<br>जिला-कैमूर,<br>8789701031                     | 591349<br>83604            | Indian Bank,<br>IDIB00<br>0B743    | रु<br>2,00,000/-<br>(दो लाख रुपए)  | दुर्घटना मृत्यु, राजमिस्त्री का हेल्पर       |
| 07.     | स्व० गया राम, 49, कंहेइ राम, अनु० जाति             | सकुन्तला देवी, (पत्नी)        | 131<br>02.02.2026<br>740,<br>19.08.2025          | ग्रा०-नसिहपुर,<br>पो०+था०+प्र०-चैनपुर,<br>जिला-कैमूर,<br>7070135145                | 173610<br>800596<br>8      | Canara Bank,<br>CNRB0<br>001736    | रु<br>50,000/-<br>(पचास हजार रुपए) | स्वाभाविक मृत्यु, कृषि मजदूर                 |

|     |                                                                    |                      |                                         |                                                                  |                          |                    |                              |                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| 08. | स्व० उमरावती देवी, 54, छोटे राम, अनु० जाति                         | दरोगा राम, (पुत्र)   | 131<br>02.02.2026<br>741,<br>19.08.2025 | ग्रा०-घाटी, पो०-बढ़ौना, था०+प्र०-चैनपुर जिला-कैमूर, 9523840378   | 720600<br>010013<br>6000 | PNB, PUNB0 720600  | रु 2,00,000/- (दो लाख रुपए)  | दुर्घटना मृत्यु, कृषि मजदूर                  |
| 09. | स्व० राजधारी राम गोंड, 46, बचाऊ प्रसाद गोंड, अनु० जाति             | प्रेमा देवी, (पत्नी) | 131<br>02.02.2026<br>742,<br>19.08.2025 | ग्रा०+पो०-अमौव, था०+प्र०-चैनपुर जिला-कैमूर, 8539905098           | 101700<br>010006<br>2228 | PNB, PUNB0 101700  | रु 50,000/- (पचास हजार रुपए) | स्वभाविक मृत्यु, कृषि मजदूर                  |
| 10. | स्व० जयप्रकाश राम, 40, सुखी राम, अनु० जाति                         | आशा देवी, (पत्नी)    | 131<br>02.02.2026<br>743,<br>19.08.2025 | ग्रा०+पो०-मुखरौव, था०-कुछिला, प्र०-नुआँव, जिला-कैमूर, 8699145862 | 600800<br>010008<br>1901 | PNB, PUNB0 600800  | रु 2,00,000/- (दो लाख रुपए)  | दुर्घटना मृत्यु, ट्रक कन्टेनर चलाने का कार्य |
| 11. | स्व० प्रमोद कुमार प्रसाद गोंड, 41, स्व० लाल चन्द्र गोंड, अनु० जाति | पुष्पा देवी, (पत्नी) | 131<br>02.02.2026<br>749,<br>19.08.2025 | ग्रा०-पतेरी, पो०-जमालपुर, था०+प्र०-चौद, जिला-कैमूर, 9508885807   | 239600<br>010008<br>5804 | PNB, PUNB0 239600  | रु 30,000/- (तीस हजार रुपए)  | स्वभाविक मृत्यु, राजमिस्त्री का हेलपर        |
| 12. | स्व० राम दयाल पासी, 62, गनपत पासी, अनु० जाति                       | सुमिता देवी, (पत्नी) | 131<br>02.02.2026<br>750,<br>19.08.2025 | ग्रा०+पो०-मोहनियाँ, था०+प्र०-मोहनियाँ, जिला-कैमूर, 9031376657    | 000701<br>000260<br>32   | BOB, BARB0 MOHA NI | रु 30,000/- (तीस हजार रुपए)  | स्वभाविक मृत्यु, पेंटर का कार्य              |

कुल:- रु० 9,90,000/-

(नौ लाख नब्बे हजार रुपए) मात्र

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव-सह-सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रोहित कुमार),

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(राजेश भारती),

कार्यकारी निदेशक

ज्ञाप संख्या :- श्रम क०सं०-64/2025-765

पटना, दिनांक :- 18/06/2026

**प्रतिलिपि :-** शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि रु० 9,90,000/- (नौ लाख नब्बे हजार रुपए) मात्र बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/उप श्रमायुक्त, पटना/श्रम अधीक्षक, कैमूर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

Signed by Rohit Kumar

Date: 05-06-2026 15:06:59

मुख्य वित्त पदाधिकारी

Rajesh Bharti

(राजेश भारती),

कार्यकारी निदेशक